

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर (राज0)

-:कार्यालय आदेश:-

क्रमांक :- ५३


दिनांक :- 28.4.2020

माननीय शेट्टी आयोग की सिफारिशों की अनुपालना में राजस्थान सरकार, वित्त विभाग अधिसूचना क्रमांक :F12(5)FD/Rules/2005 दिनांक 02.09.16 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.10.16 एवं राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग, जयपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक : एफ.3 (33) डीओपी/ए-11/85 दिनांक 19.07.17 के अनुसरण में इस न्यायक्षेत्र में निजी सहायक एवं कार्यकारी सहायक के रिक्त पद पर पदोन्नति हेतु गठित पदोन्नति समिति की अनुशांषा रिपोर्ट पत्र क्रमांक 111 दिनांक 01.04.2020 को अनुमोदित करते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, पोकरण में नियुक्त श्री झूमरलाल सोलंकी, आशुलिपिक ग्रेड-1 को निजी सहायक एवं कार्यकारी सहायक के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में नियमानुसार अनुमत वेतन पे-मैट्रिक्स में लेवल-L-12 में एतद्वारा निम्न शर्तों पर पदोन्नत किया जाता है :-

नोट :-

1. पदोन्नत कर्मचारी को पदोन्नति के वेतनमान का लाभ नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

इनका पदस्थापन इस न्यायालय में निजी सहायक एवं कार्यकारी सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।

क्रमांक : स्था./2020/ 868-871

दिनांक : 28.4.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रदत्त है:-

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पोकरण।
2. श्री झूमरलाल सोलंकी, आशुलिपिक ग्रेड-1
3. निजी पत्रावली श्री झूमरलाल सोलंकी, आशुलिपिक ग्रेड-1 द्वारा-एडीजे कोर्ट, पोकरण।
4. सिस्टम ओफिसर, कार्यालय हाजा।
5. कार्यालय प्रति।


28.4.2020
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।